# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः— पंकज कुमार आर.ए.एस.
राजस्व नामा. अपील संख्याः— 10/2017

अपीलान्ट :—

नरपत सिंह पुत्र स्व. श्री ओमदत्त जी, जाति माली ठिकाना पीथाराम जी का बाग चैनपुरा, जोधपुर।

रिस्पोडेंट्स :—

01. ओंकार सिंह पुत्र सोभाराम
02. भींवसिंह पुत्र सोभाराम
03. ओमप्रकाश पुत्र सोभाराम के कायम मुकाम
    3/1 कमलेश पुत्र ओमप्रकाश
    3/2 विरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश
    3/3 श्रीमती वीणा पुत्री ओमप्रकाश पत्नी नरेन्द्र सोलंकी
04. श्रीमती सुशीला पत्नी रूकमणसिंह
05. कुलदीप पुत्र रूकमण सिंह
06. चन्द्रशेखर पुत्र रूकमण सिंह
07. ज्ञानेश्वर पुत्र रूकमण सिंह
08. सुमित्रा पुत्री रूकमण सिंह
09. उषा पुत्री रूकमण सिंह
10. भगवती पुत्री रूकमण सिंह
11. ललिता पुत्री रूकमण सिंह
12. विद्यादेवी पत्नी महेशचन्द्र
13. दिनेश पुत्र महेशचन्द्र
14. नरेन्द्र पुत्र महेशचन्द्र
15. संदीप पुत्र महेशचन्द्र
16. नीतु पुत्री महेशचन्द्र
    सभी जातियान माली, निवासी टांकों का बास मगरा पूंजला जोधपुर।
17. रूकमादेवी पत्नी जयसिंह, जाति माली निवासी कानीयाला बेरा, चैनपुरा, जोधपुर।
18. अनिल कुमार पुत्र जयसिंह जाति माली निवासी हिम्मतपुरा, गोकुलजी की प्याउ के पास चैनपुरा, जोधपुर।
19. प्रेमसिंह पुत्र जयसिंह
20. कल्याणसिंह पुत्र जयसिंह
21. उर्मिला पुत्री जयसिंह
    जातियान माली, निवासी कानीयाला बेरा, चैनपुरा जोधपुर।
22. हड़मान सिंह पुत्र भानुसिंह उर्फ भानुराम

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

23. माणकसिंह पुत्र भानुसिंह उर्फ भानुराम,
24. भोपालसिंह पुत्र भानुसिंह उर्फ भानुराम
    जति माली निवासी, हिम्मतपुरा, गोकुलजी की प्याउ के पास, चैनपुरा, जोधपुर।
25. आनंद सिंह पुत्र स्व. श्री मुन्नीलाल उर्फ मनीराम,
26. बलवीर सिंह पुत्र स्व. श्री मुन्नीलाल उर्फ मनीराम
27. भारतसिंह पुत्र स्व. श्री मुन्नीलाल उर्फ मनीराम,
    जातियान माली निवासीगण पीथाराम जी का बाग चैनपुरा जोधपुर।

**अपील अंतर्गत धारा 75 भ–राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामा. सं. 180 जो कि सरपंच ग्राम पंचायत सुरपुरा द्वारा बिना किसी तारीख के खारित करते हुए पुनः स्वीकार करते हुए स्व. श्री भोमाराम पुत्र श्री हिम्मताराम की मृत्यु उपरांत उनके कानूनी वारिसान के पक्ष में स्वीकृत करने के बजाए रेस्पोडेंट के नाम नामा. स्वीकार कर दिया।**

**–::आदेश::–** दिनांकः– 18/06/2024

**उपस्थितिः–**
1. श्री ओमप्रकाश बूब एवं भरत बूब अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 से 9 एवं 11 से 21 तक
3. श्री दिनेश विश्नोई अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 23 की ओर से
4. श्री बलवीरसिंह कच्छावा एडवोकेट रेस्पोटेंड सं. 25 से 27 की ओर से

अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत की गयी है जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है कि ग्राम सुरपुरा के खसरा नबर 322 रकबा 61 बीघा 4 बिस्वा भूमि श्री मुन्नीलाल वगैरा के नाम से खातेदारी में दर्ज थे। इस भूमि के सहखातेदार भोमाराम पुत्र पीथाराम दर्ज था। अपीलाट स्व. भोमाराम पुत्र पीथाराम का वारिस है और जमाबंदी सम्वत 2041 से 2044 में सहखातेदार के रूप में भोमाराम पुत्र पीथाराम का नाम दर्ज किया हुआ था। भोमाराम पुत्र पीथाराम का देहांत हो गया उनके देहांत के बाद रेस्पोडेन्टस के पूर्वज एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 22 से 24 के मन में बदनियती आ गई और वह गलत रूप से भोमाराम पुत्र पीथाराम के वारिस बनकर के अपीलाधीन नामान्तकरण अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया एवं साथ ही अपीलाधीन नामान्तकरण में भोमाराम पुत्र पीथाराम के स्थान पर भोमाराम पुत्र हिम्मताराम दर्ज करवा दिया जो पुर्ण रूप से गलत एवं गैर कानूनी है। स्व भोमाराम पुत्र हिम्मताराम के वारिस रेस्पोडेन्ट सख्या 1 से 21 और रेस्पोडेन्ट सख्या 22 से 24 भानूसिंह के वारिस है। अपीलाधीन नामान्तकरण पुर्व में ग्राम पंचायत सुरपुरा द्वारा खारिज कर दिया गया था लेकिन उसके बाद सबंधित सरपंच ने बिना किसी व्यक्ति को सुने और सुनवाई का अवसर दिये बाले–बाले खारिज नामान्तकरण को रेस्पोडेन्ट के वालिद के नाम से स्वीकृत कर दिया जो किसी भी रूप में कानूनी रूप से नहीं किया जा सकता था। अपीलॉट ने नामान्तरकरण सख्या 180 को खारिज करने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

अपीलांट ने अपील के साथ में धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि नान्तकरण संख्या 180 बिना किसी तारीख का है अपीलांट को जमाबंदी की नकल प्राप्त ने पर दिनांक 18.07.2017 को नामान्तकरण स्वीकृत की जानकारी हुई है। अपीलाधीन नान्तकरण पूर्ण रूप से अवैध व शून्य है जो म्याद बाधित नहीं करती है और उसे किसी भी र पर चुनौती दी जा सकती है अपील का अंदर म्याद शुमार किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेंट्स को नोटिस तामीली के पश्चात् स्पोडेन्ट सख्या 1 से 21 के अधिवक्ता द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का जवाब पेश कर वेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 180 भोमाराम पुत्र हिम्मताराम की मृत्यु पर उनके तराधिकारीयों के नाम स्वीकृत किया गया है। अपीलांट भोमाराम पुत्र पीथाराम के वारिस होने आधार पर नामान्तकरण खारिज करने का निवेदन किया। भोमाराम पुत्र हिम्मताराम एवं माराम पुत्र पीथाराम अलग–अलग व्यक्ति थे और उनके नाम से अलग अलग खातेदारी थी। पने जवाब के समर्थन में खतौनी जमाबंदी ए–2 सम्बत 2006 से 2011 तक की पेश की गई सरा नबर 322 मि रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा का खातेदार भोमा पुत्र हिम्मता इन्द्राज है और सरा नंबर 325 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा भोमा वल्द पीथा इन्द्राज है। इस कारण अपीलांट मान्तकरण संख्या 180 से व्यथीत पक्षकार नहीं होने से अपील प्रारम्भिक स्तर पर ही काबिल ारिज है। अपीलाधीन नामान्तकरण 04.06.1985 को स्वीकृत होने के 32 वर्ष से अधिक समय तीत होने के बाद देरीना पेश की है जिसका भी कोई संतोषजनक कारण नहीं दर्शाया है जो पील काबिल खारिज है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 25 से 27 की ओर से अधिवक्ता श्री बलवीर कच्छवाह का तर्क है कि पीलान्ट नरपत सिंह ने भोमाराम के वारिसान् बाबत् अपने आपको अकेला वारीस बताया है जबकि मुन्नीलाल वगैरहा भी भोमाराम के वारिस हैं मुन्नीलाल ने भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या– 25 से 27 को बक्सीस कर दी है। अधिवक्ता द्वारा अपने तथ्यों के संबंध में फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज पेश किए जिसमें वंशावली, नामा. सं. 104, सहायक कलक्टर जोधपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.11.2011, राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में दर्ज अपील की प्रति, राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर की आदेशिका आदि पेश कर अपीलाधीन नामा. खारिज करने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्षकारान् सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि मियाद के प्रार्थना पत्र का निस्तारण मूल अपील प्रार्थना पत्र के साथ ही गुणावगुणों पर विचार किया जाकर ही निर्णय किया जाना चाहिए। आगे बहस में कथन किया कि भू. अभिलेख अधिकारी राजस्व रिकार्ड की कोई भी गलती को स्वप्रेरणा से कभी भी सही कर सकता है। अतः अपीलाधीन नामा. खारिज कर तहसीलदार जोधपुर को रिमांड किया जाए। बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 से 21 ने कथन किया कि भोमाराम पुत्र पीथाराम की मृत्यु 11.04.1974 को ही हो गई थी किंतु भोमाराम पुत्र श्री पीथाराम के नाम नामा. सं. 104 दिनांक 11.05.1975 को दर्ज है। खतौनी जमाबंदी ए–2 सम्बत 2006

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

से 2011 में भी खसरा नबर 322 मि रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा का खातेदार भोमा पुत्र हिम्मता इन्द्राज है और खसरा नंबर 325 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा भोमा वल्द पीथा इन्द्राज है। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तहसील कार्यालय जोधपुर से पत्रावली सं. 451/71 तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 11.05.1975 धारा 15 के तहत ग्राम सुरपुरा में खातेदारी अधिकार श्री मुन्नीलाल पुत्र भोमाराम, भोमाराम पुत्र पीथाराम वगैरा को दी गई थी, जिसके आदेश की प्रति तहसील कार्यालय में तलाशी के बाद भी उपलब्ध नहीं हो पाई।

अपील प्रार्थना पत्र, धारा 5 का प्रार्थना–पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, नामान्तरकरण, उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस एवं बहस के दौरान दिये गये तर्कों एवं सम्पूर्ण पत्रावली के मनन के पश्चात् न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 180 फौतेदगी नामान्तकरण पर हल्का पटवारी द्वारा भोमाराम, भाणूसिंह के फौत होने पर नामान्तकरण खोला गया जो दिनांक 04.06.1985 को निरीक्षक भू अभिलेख जाजीवाल कलां द्वारा जांच कर निर्णय हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया। ग्राम पंचायत का निर्णय इस प्रकार है "भोमजी के तीन व भाणूजी के सात बेटे है इसलिए मीटेसन नहीं पास किया एसडी सरपंच ग्राम पंचायत सुरपुरा।" अपील के साथ पेश नामान्तकरण संख्या 104 जो खसरा नंबर 322 रकबा 61 बीघा 04 बिस्वा की खातेदारी धारा 15 के तहत दी गई है जो नामान्तकरण मुन्नीलाल पुत्र भोमाराम, भोमाराम पुत्र पीथाराम, भंवरलाल, शंकरलाल, सोहनराज पिता पाबुराम, मोहनराम पुत्र भोमाराम, मांगीलाल, पुत्र गुमानीराम, भोमाराम पुत्र गोबरराम, गोबरराम पुत्र तेजाराम, शेराराम पुत्र मदाराम कौम विश्नोई इन्द्राज है। भोमाराम नाम के तीन व्यक्ति इस भूमि के सहखातेदार इन्द्राज हैं और यही प्रविष्टि आगे की जमाबंदीयो में दोहराई हुई है। भोमाराम पुत्र पीथाराम के देहांत के पश्चात् उनके पुत्र मुन्नीलाल का नाम इन्द्राज हुआ है और भोमाराम पुत्र हिम्मताराम का नाम इन्द्राज नहीं होकर भोमाराम पुत्र पीथाराम का नाम इन्द्राज हुआ है इन प्रविष्टियों के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से पेश की गई खतौनी जमाबंदी ए–2 सम्वत 2006 में इन्द्राज प्रविष्टियों में भोमा वल्द हिमता इन्द्राज है। इस रेकर्ड से बखुबी साबित है कि खसरा नंबर 322 के रकबा 16 बीघा 09 बिस्वा पर भोमा वल्द हिमता काबिज काश्त था जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से प्रविष्टियां इन्द्राज है। नामान्तकरण संख्या 180 की फर्द के उपर अलग कलम से खारिज शब्द लिखा हुआ है यह किसके द्वारा लिखा लिखा गया, कब लिखा गया, किसके आदेश से लिखा गया उल्लेख नहीं है इस स्थिति में नामान्तकरण संख्या 180 खारिज है ऐसा रेकर्ड से साबित नहीं है। रेकर्ड के अवलोकन से नामान्तकरण संख्या 180 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया हुआ साबित है।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

अपीलांट की अपील गुणावगुणों पर मजबुत नहीं होकर खारिज योग्य है। अपीलांट द्वारा 32 वर्ष से अधिक समय अवधि को क्षमा किये जाने का प्रार्थना पत्र ठोस आधारों पर प्रस्तुत नहीं किया गया है और रेस्पोडेन्टस ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया है। अपीलांट की अपील अत्यंत ही म्याद बाहर होने एवं देरी बाबत कोई संतोषजनक कारण दर्शित नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा नामान्तकरण संख्या 180 के विरूद्ध अपील पेश की गई जो गुणावगुणों एवं म्याद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

पंकज कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 18/6/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/6/24

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर